सैन्टर फॉर रिसर्च, डैवलपमैन्ट एण्ड कन्जर्वेशन ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट्री रिसोर्सेस सोसाइटी हेतु नियमावली

1. सामान्य सभा के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे तथा उस विशेष पद के अपने कार्यकाल के दौरान सदस्य रहेंगे। तथापि, सामान्य सभा के किसी भी सदस्य का कार्यकाल किसी भी समय वैध एवं न्यायसंगत आधार पर (समस्त बोर्ड के) बहुमत निर्णय द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

2. सामान्य सभा निम्न कार्य करेगी :–

(1) सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अनुमोदन।

(2) बजट एवं खातों का अनुमोदन।

(3) सोसाइटी द्वारा नियोजित व्यक्तियों की सेवा समाप्ति तथा सेवा शर्तों के विनियमन का अनुमोदन।

(4) विभिन्न उद्देश्यों के लिये समितियों का गठन तथा समितियों अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सामान्य सभा के किसी भी अन्य पदाधिकारी को उपयुक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन।

(5) सम्पूर्ण भारत के भीतर किसी भी न्यायालय में सोसाइटी के लिये तथा उसकी ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करना।

3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा सामान्य सभा की बैठक हेतु तारीख निर्धारित करेंगे।

4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड सोसाइटी के उपाध्यक्ष होंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

5. वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी के पद धारक सामान्य सभा के सचिव होंगे। सचिव के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(1) सामान्य सभा की बैठक के लिये कार्यसूची तैयार करना तथा ऐसी बैठक की कार्यवाही के अभिलेखों का रख–रखाव।

(2) सामान्य सभा की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(3) सामान्य सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सोसाइटी के फण्ड का प्रबन्धन करना।

(4) बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर सोसाइटी के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पद समाप्ति की कार्यवाही करना।

(5) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा इसे सामान्य सभा के समक्ष रखना।

(6) ऐसे अन्य कार्य जिन्हें सामान्य सभा द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित या सौंपा गया है।

6. सामान्य सभा की बैठक :–

(1) सामान्य सभा की वार्षिक बैठक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष माह मई में आयोजित की जायेगी। उक्त बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, तिथि, समय, एजेन्डा, वार्षिक रिपोर्ट, रिटर्न व बैलेन्स शीट की अग्रिम प्रति के साथ सभी सदस्यों को बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी।

(2) सामान्य सभा की विशेष बैठक सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा सचिव के माध्यम से या मूल सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत के लिखित अनुरोध पर बुलायी जायेगी। ऐसी बैठकों हेतु नोटिस 15 दिन पूर्व बैठक के एजेन्डा के साथ सदस्यों को भेजा जायेगा। ऐसे मामले पर, जिनका एजेन्डा में उल्लेख नहीं है, बैठक में विचार नहीं किया जायेगा। सामान्य सभा की सभी बैठकों के लिए कोरम समस्त सदस्यों की संख्या का दो–तिहाई होगा।

(3) कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों के आयोजन के लिये एक सप्ताह का नोटिस दिया जायेगा।

7. सोसाइटी की कार्यकारी समिति निम्न व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी :–

1	अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	सदस्य
3	वन वर्धनिक, पर्वतीय क्षेत्र, नैनीताल।	सदस्य
4	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी।	सदस्य
5	सहायक वन वर्धनिक, पर्वतीय क्षेत्र, नैनीताल।	सदस्य
6	सहायक वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी।	सदस्य
7	वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी।	सचिव

कार्यकारी समिति सोसाइटी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी और इस उद्देश्य के लिए सामान्य सभा द्वारा निर्धारित कार्यों को निष्पादित करेगी।

8. कार्यकारी समिति के अध्यक्ष न्यूनतम 7 दिन के नोटिस पर कार्यकारी समिति की बैठक बुलायेंगे। आपातकालीन बैठक के मामले में 24 घंटे का नोटिस पर्याप्त होगा। कोरम सदस्यों का दो–तिहाई होगा। कार्यकारी समिति की कम से कम 4 बैठकें एक वर्ष में बुलाई जायेंगी। बैठक की कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा कार्यवृत्त की पंजिका में दर्ज की जायेगी तथा उनके एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। कार्यकारी समिति की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों का दो–तिहाई होगा।

9. प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। सोसाइटी की बैठक में प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिक्ति या रिक्तियों के कारण बैठक की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

10. सोसाइटी का अधिकारिक वर्ष 01 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक होगा।

11. सोसाइटी सभी सदस्यों का नाम, पता, श्रेणी तथा नामांकित व्यक्तियों के मामले में संगठन के प्राधिकार पत्रों का रिकार्ड रखेगी।

12. कोई भी ऐसा सदस्य, जो नियमों का पालन नहीं करता है, या उस सदस्य के कृत्यों से संस्था की ख्याति प्रभावित हो रही है, को परिसंचरण द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव या बोर्ड की बैठक द्वारा 3/5 सदस्यों की सहमति तथा मतदान से हटाया जा सकेगा।

13. सोसाइटी के अनुच्छेदों/नियमों को तब तक नहीं बदला जायेगा जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बुलाई गयी सामान्य सभा की बैठक में मौजूद 3/5 सदस्यों द्वारा मतदान कर प्रस्ताव को पारित नहीं कर लिया जाता।

14. प्रत्येक वर्ष, वार्षिक आम सभा की बैठक 15 दिनों के भीतर, निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम, पते एवं व्यवसायों की एक सूची सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास दाखिल की जायेगी।

15. सोसाइटी को, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 13 व 14 के प्राविधानों के अधीन भंग किया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में, ऋण एवं देनदारियों के भुगतान के बाद, यदि कोई भी सम्पत्ति अवशेष रहती है, तो इसे सामान्य सभा द्वारा सम्पूर्ण सदस्यों के 75 प्रतिशत बहुमत से चयनित समान उद्देश्य के केन्द्र/संगठन को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

16. सोसाइटी को निजी क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से स्वैच्छिक और बिना शर्त योगदान के माध्यम से सी0एस0आर0 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड से वित्त पोषित किया जायेगा। सोसाइटी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान अथवा व्यक्तियों/पंजीकृत संगठनों से स्वैच्छिक और बिना शर्त योगदान को भी स्वीकार कर सकेगी।

17. सोसाइटी का खाता हल्द्वानी स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। इस खाते को सामान्य सभा द्वारा अधिकृत सदस्य द्वारा संचालित किया जायेगा।

18. राज्य के ऑडिट विभाग तथा एकाउन्टैन्ट जनरल, उत्तराखण्ड द्वारा सोसाइटी के खातों का लेखा परीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। वैकल्पिक तौर पर, इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट मुख्यतः ए0जी0/सी0ए0जी0 के पैनल में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट से भी करवाया जा सकेगा।

19. सोसाइटी की अपनी एक सामान्य मुद्रा होगी एवं सोसाइटी के सचिव के नाम से सोसाइटी पर या सोसाइटी द्वारा वाद लाया जा सकेगा।

20. सोसाइटी निम्नलिखित अभिलेखों का संधारण करेगी :–

(1) सदस्यता रजिस्टर
(2) कार्यवाही रजिस्टर
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कैश बुक
(5) अन्य रिकॉर्ड जो सोसाइटी के लिये आवश्यक हों।

21. सोसाइटी की सम्पत्ति में समस्त धनराशि, प्रतिभूतियां, प्राप्तियां, ऋण तथा प्रत्येक प्रकार की सभी चल व अचल संपत्तियां (जो सोसाइटी की हों या उसके कब्जे में हों) या उनसे होने वाली समस्त आय शामिल होंगी।

हम, निम्नलिखित सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि यह सोसाइटी की नियमावली की सत्य प्रति है।

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	विनीत कुमार पांगती	अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।	अपर प्रमुख वन संरक्षक वन अनुसंधान प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड हल्द्वानी
2	संजीव चतुर्वेदी	वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।	Sanjiv Chaturvedi वन संरक्षक. अनुसंधान वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी
3	जीवन चन्द्र जोशी	वन वर्धनिक साल क्षेत्र उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।	Joshi वन वर्धनिक साल क्षेत्र उत्तराखण्ड हल्द्वानी

दिनांक :

स्थान : हल्द्वानी

RULES OF THE SOCIETY "CENTRE FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND CONSERVATION OF HIMALAYAN FORESTRY RESOURCES"

1. All the Members of the General Body shall be ex-officio members and shall be the member during their tenure of that particular designation. However, tenure of any Member of General Body can be terminated by majority decision (of entire Board) at any time on valid and justificable grounds.

2. The General Body shall perform the following functions: -
   (1) Approval of plans and programmes to carry out the objectives of Society.
   (2) Approval of budgets and accounts.
   (3) Approval of termination of service and regulation of conditions of service of the pesons employed by the Society.
   (4) Formation of Committees for various purposes and delegation of appropriate powers to them or to Chairman, Vice Chairman, Secretary or any other office bearer of General Body.
   (5) To conduct all the legal proceedings for and on behalf of the Society in any court of law within the territory of India.

3. The Principal Secretary, Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun shall preside over the meeting of the General Body and shall appoint the date for the meeting of the General Body.

4. The Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand shall be the Vice Chairman of the Society and shall preside over the meeting in the absence of Chairman.

5. The incumbent of the post of Conservator of Forest, Research Circle, Haldwani shall be the Secretary of the General Body. The functions of the Secretary shall be the following:-
   (1) Preparation of agenda for meetings of General Body and maintenance of the records of proceeding of such meetings.
   (2) To ensure implementation of all the decisions taken at the meeting of General Body.
   (3) Management of the funds of the Society according to the policy laid down by the General Body.
   (4) Appointment and termination of the employees of the Society on the basis of approval of the Board.
   (5) To prepare the annual report and place it before the General Body.
   (6) Such other functions as are delegated or entrusted to him by the General Body.

6. Meeting of General Body:-

(1) Annual Meeting of the General Body shall be held every year in the month of May generally. A notice of said meeting mentioning place, date, time and the agenda shall be sent with an advance copy of the Annual Report, Returns and Balance-Sheet to all members at least 15 days before the meeting.

(2) A special General Meeting of the General Body shall be called by the Chairman of the Society through the Secretary or at the written request of at least 50% of the original members. A notice before 15 days of such meeting shall be sent to the members alongwith the agenda. Matters not mentioned in the agenda shall not be taken up at the meeting. The quorum for all the meetings of the General Body would be of two third of total members.

(3) One week's notice shall be given for holding meetings adjourned for want of quorum.

7. The Executive Committee of the Society shall consist of the following persons :-

1.	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Research, Training & Management, Uttarakhand, Haldwani	Chairman
2.	Addl. Secretary, Forest Department, Govt. of Uttarakhand, Dehradun	Member
3.	Silviculturist, Hill Region, Nainital	Member
4.	Silviculturist, Sal, Haldwani	Member
5.	Asst. Silviculturist, Hill Region, Nainital	Member
6.	Asstt. Silviculturist, Sal, Haldwani	Member
7.	Conservator of Forests, Research Circle, Uttarakhand, Haldwani	Secretary

The Executive Committee would be responsible for day to day operation of the Society and for this purpose, would perform such functions as prescribed by the General Body.

8. The Chairman of the Executive Committee shall call the meeting of the Executive Committee after giving a minimum seven days notice. In case of emergency meetings 24 hrs notice would be sufficient. The quorum would be of two third of the members. At least four meetings of the Executive Committee shall be called in a year. The proceedings of the Committee shall be recorded in a minute book by the Member Secretary and signed by him as well as by the Chairman. The quorum for all the meetings of the Executive Committee would be of two third of total members on role.

9. Every member shall have one vote. Voting by proxy shall not be allowed at Society meeting. The existence of a vacancy or vacancies shall not invalidate the proceedings of any meeting.

10. The official year of the Society shall be from 1^{st} April to 31^{st} March of the following year.

11. The Society shall maintain record of addresses, categories of all members and in case of nominees written organizational authorization letters.

12. Any member who does not comply the rules or is believed to bring discredit to the Society may be removed from the membership by a special resolution passed by circulation or in Board Meeting by consent of 3/5 members of the General Body present and voting.

13. The Rules of the Society shall not be altered unless passed by a special resolution voted by 3/5 strength of the members present and voting at a general body meeting called for this purpose.

14. Within 15 days of the Annual General Meeting every year, a list of names, addresses and occupations of the members of Board of Directors shall be filed with the Register of Societies under the provision of Societies Registration Act, 1860.

15. The Society may be dissolved subject to the provisions of section 13 and 14 of the Societies Registration Act 1860. If any property remains after the satisfaction of its debts and liabilities, it will be transferred to a center/organization of similar objectives chosen by the General Body by seventy five percent of the total strength of the entire members.

16. The Society shall be funded from CSR (Corporate Social Responsibility) funds through voluntary and unconditional contribution from private sector as well as public sector undertakings. The Society may also accept grants from Central or State Government or any other voluntary and unconditional contribution from individuals/ registered organizations.

17. An account for the Society will be opened in a Nationalized Bank at Haldwani. The account will be operated by the member authorized by General Body in this behalf.

18. The accounts of Society shall be audited by the State Audit Department and Accountant General, Uttarakhand in every financial year. Alternatively, audit may also be conducted annually by a Chartered Accountant preferably empanelled with A.G./C.A.G.

19. The Society shall have its common seal and shall sue and be sued in the name of the Secretary of the Society.

20. The Society shall maintain the following records:

(1) Membership Register
(2) Proceedings Register
(3) Stock Register
(4) Cash Book
(5) Any other record required for the Society.

21. The assets of the Society shall include all money, securities, realisations, debts and all properties of every description whether movable or immovable belongs to or in possession of the Society and all income arising therefrom.

We, the following members certify that this is a correct copy of the Rules of the Society.

S.N.	Name	Address	Signature
1	Vineet Kumar Pangtey	Additional PCCF Research, Training & Management Uttarakhand, Haldwani	APCCF, F.R.T.M Haldwani
2	Sanjeev Chaturvedi	Conservetor of Forest Research Circle Uttarakhand, Haldwani	Sanjeev Chaturvedi Conservator of Forest Research Circle Uttarakhand, Haldwani
3	Jeewan Chandra Joshi	Silviculturist, Sal Region Uttarkhand, Haldwani	Joshi Silviculturist Sal Region Uttarakhand, Haldwani

Date :

Place : Haldwani